

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 09/05/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 08.05.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01.थाना जंगीपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 0085/2025 धारा 105 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित

वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08.05.2025 को थानाध्यक्ष जंगीपुर मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 85/2025 धारा 105 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक कुमार सिंह उर्फ दीपू सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी ग्राम तारनपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर को तारनपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता: -

1.अभिषेक कुमार सिंह उर्फ दीपू सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी ग्राम तारनपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर उम्र 40 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 0085/2025 धारा 105 बी0एन0एस0 थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर ।

2. महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र गाजीपुर द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अलग हुए 03

परिवार की कराई गई विदाई ।

आज दिनांक 08.05.2025 को कार्यालय महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र गाजीपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ0 ईरज राजा के कुशल निर्देशन में पति पत्नी के विवाद से संबंधित कुल 11 प्रकरण को सुना गया जिसमे काफी समय से विवादित चल रहे 03 प्रकरण में दोनों पक्षों को बैठा कर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भूला कर विदाई करवाई गई 02 प्रकरण में कुशलता के बाद पत्रावली बंद कर दी गई 03 प्रकरण में विधिक सुझाव देते हुए पत्रावली बंद कर दी गई 03 प्रकरण में अभी मध्यस्था न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई इन सभी प्रकरण के निस्तारण में काउंसलर

कमरुद्धीन, महिला सहायता प्रकोष्ठ प्रभारी शशि सिंह , महिला आरक्षी अभिलाषा, महिला आरक्षी रागिनी चौबे, महिला होमगार्ड उर्मिला गिरी आदि लोग प्रमुख थे।

3. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।

दिनांक 08.05.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० 86/2023 धारा 363,307/34,326,376(3)भादवि व 5(द)/6 पाँक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण 01. हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहब पुत्र किशोरी राम 02. सविता देवी पत्नी हरिशंकर राम निवासीगण ग्राम टाँगा थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त 01- हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहब को धारा 363,307/34,326,376(3)भादवि व 5(द)/6 पाँक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 45,000/रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, 02- सविता देवी को धारा 307/34 भादवि में 10 वर्ष का साधारण कारावास तथा 15,000/रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा ।

4. थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 19/2025 धारा 137(2), 87, 64(1) बी0एन0एस0 व 5(L) / 6 पाक्सों एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08.05.2025 को उ0नि0 लालता प्रसाद यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन, तलाश वांछित वारण्टी मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 19/2025 धारा 137(2), 87, 64(1) बी0एन0एस0 व 5(L) / 6 पाक्सों एक्ट में नामित अभियुक्त मनीष कुमार बिन्द पुत्र रामजी बिन्द निवासी ग्राम बरठी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष को धितुवा मोड़ ग्राम आकुशपुर से गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष कुमार बिन्द पुत्र रामजी बिन्द निवासी ग्राम बरठी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 19/2025 धारा 137(2), 87, 64(1) बी0एन0एस0 व 5(L) / 6 पाक्सों एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

5. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 72/2025 धारा 115(2),110,352,351(3),126(2) बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द,ध एवं 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08.05.2025 को उ0नि0 हरिश्चन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन, तलाश वांछित वारण्टी में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 72/2025 धारा

115(2),110,352,351(3),126(2) बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द,ध एवं 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट में नामित अभियुक्त आकाश बिन्द पुत्र प्रभुनाथ उर्फ पप्पू बिन्द निवासी ग्राम श्रीगंज थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष को धामूपुर चट्टी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

आकाश बिन्द पुत्र प्रभुनाथ उर्फ पप्पू बिन्द निवासी ग्राम श्रीगंज थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 72/2025 धारा 115(2),110,352,351(3),126(2) बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द,ध एवं 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

**6. थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 127/2025 धारा धारा 281,105, 324(4) बीएनएस में
वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08.05.2025 को उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन, तलाश वांछित वारण्टी तथा अभियुक्त गण के मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 127/2025 धारा धारा 281,105, 324(4) बीएनएस में नामित अभियुक्त फेकू बिन्द पुत्र सुमेर बिन्द निवासी ग्राम कानाडीह, खिजीरपुर पोस्ट फतेहउल्लाहपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष को पहलवानपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

फेकू बिन्द पुत्र सुमेर बिन्द निवासी ग्राम कानाडीह, खिजीरपुर पोस्ट फतेहउल्लाहपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 127/2025 धारा 281,105, 324(4) बीएनएस थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर